

संख्या—2896 / 9—आ—3—2002—240 काम्प / 2001

प्रेषक,

संजय भूसरेड्डी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उ0प्र0।

आवास अनुभाग—3

लखनऊ: दिनांक : 27 जुलाई, 2002

विषय : नगरों की महायोजना में सेलुलर मोबाइल फोन के प्रयोजनार्थ आवश्यक निर्माण को अनुमन्य किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या—6318 / 9—आ—3—1999, दिनांक—10.12.1999 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कतिपय विकास प्राधिकरणों/विनियमित क्षेत्रों द्वारा उक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है।

2. अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या—6318 / 9—आ—3—1999, दिनांक

10.12.1999 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव।